XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1478–I/11 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–7–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 153/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29–6–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदकों को वर्ष 2005 में दिया गया था । कलेक्टर द्वारा 6 वर्ष उपरांत आवेदक के पक्ष में पारित व्यवस्थापन आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर एस.डी.ओ. के प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के अंदर किया जाना चाहिए और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है । इस कारण भी उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है । यह तर्क दिया गया कि आवेदक ने भूमि का व्यवस्थापन होने के उपरांत काफी मेहनत से उसे कृषि योग्य बनाया है । यह भी कहा गया कि विद्वान आयुक्त ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है इस कारण इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया । 4– अनावेदक कं. 1 म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा वर्ष 27–9–2005 के आदेश द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदकगण एवं अन्य 9 व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा वर्ष 2010 में स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश दिनांक 30–5–11 द्वारा निरस्त किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को 6 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है । आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1478–I/11

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखे जा सकते और चूंकि उक्त आदेश इसी आधार पर निरस्त किए जा रहे हैं इसलिए प्रकरण में अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–12 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–11 (जहां तक आवेदकगण का प्रश्न है उस सीमा तक) निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये । सदस्य	

BEFORE THE COURT OF THE REVENUE BOARD, GWALIOR

[redacted]......../2011

Rivision No. R-1478-I/2011

Petitioners :

1. Ghanshyam, S/o Puttu Singh,
2. Pawan Kumar, S/o Puttu Singh
3. Pradeep Kumar, S/o Damodar
4. Awadesh, S/o Damodar

All by caste: Kirar Thakur, R/o Vill. Silaytha, Tehsil Joura, Distt. Morena (M.P.)

श्री आर.पी. पालीवाल अधि. द्वारा आज 15-9-2011 को प्रस्तुत
15-9-2011
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

VERSUS

Respondents

1. State of M.P.
2. Dhruv Singh, S/o Narayan Singh
3. Satish Singh, S/o Narayan Singh
4. Rajendra Singh, S/o Puttu Singh
5. Ranveer Singh, S/o Harisingh
6. Vishnu Singh, S/o Harisingh
7. Rajendra Singh, S/o Harisingh

All resident of Vill. Silaytha, Tehsil Joura, Distt. Morena

8. Virendra Singh, S/o Harisingh
9. Dheer Singh, S/o Harisingh
10. Ramveer Singh, S/o Harisingh

All by caste: Kirar Thakur, resident of Vill. Silaytha, Tehsil Joura, Distt. Morena

15-09-11
आर.पी. पालीवाल अधिवक्ता

Rivision under Section 50 of the M.P.L.R.C against the order dated 29.6.2011 passed by Commissioner, Chambal Division, Morena (M.P.) arising out of order dated 30.5.2011 passed by Collector, District Morena